



कार्यालय  
पुनर्वास पदाधिकारी  
कोशी योजना, सुपौल

NIC

पत्रांक.....सुपौल

दिनांक...../

आम डाक सूचना-02/2015-16

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला सहरसान्तर्गत पूर्वी / पश्चिम तटबंध के पुनर्वास स्थलों की अतिरिक्त परती खेती योग्य जमीन/तालाबों का अस्थायी बन्दोबस्ती के लिए आम डाक निर्धारित तिथि को की जाएगी।

डाक स्थल - पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल।

भूमि का ब्यौरा

क्र०	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्त करने वाले जमीन का रकबा	डाक की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	आम डाक की तिथि समय	अभियुक्ति
1	डुमरा	1.64×1 मूखण्ड, 1.00×1 मूखण्ड	1×2450, 1×1480	250, 150	सत्र 2015-16 (एक वर्ष मात्र)	दि० 28.05.2015 समय 11 बजे पूर्वाह्न	एक फसला
2	धर्मपुर तैखुटी उर्फ चौखुटी	2.00 ×16 मूखण्ड	16×2960	300	वही	वही	एक फसला
3	धर्मपुर तैखुटी	2.00 एकड़ × 2 मूखण्ड	2×2960	200	वही	वही	एक फसला
4	हैमपुर नवहटा	2.00एकड़× 6 मूखण्ड	6×2960	300	वही	वही	एक फसला
5	नवहटा नीलखा	2.00एकड़ × 4 मूखण्ड ,0.50डी०×1 मूखण्ड	4×2960, 1×740	300, 80	वही	वही	एक फसला
6	मोहनपुर	1.67 एकड़× 1 मूखण्ड	1×2470	250	वही	वही	एक फसला
7	ओरिया रामौती	2.00एकड़× 2 मूखण्ड	2×2960	300	वही	वही	एक फसला
8	चन्द्रायण	2.00 एकड़×21 मूखण्ड	21×2960	300	वही	वही	एक फसला
9	खिरहो	2.00 एकड़×2 मूखण्ड	2×2960	300	वही	वही	एक फसला
10	मेहषी उत्तरवाडी	2.00 एकड़×5 मूखण्ड, 1एकड़×1 मूखण्ड	5×2960, 1×1480	300, 150	वही	वही	एक फसला
11.	मेहषी जामुनवाडी	2.00 एकड़ × 5 मूखण्ड	5×2960	300	वही	वही	एक फसला
12	गमरहो	2.00 एकड़ × 2 मूखण्ड	2×2960	300	वही	वही	एक फसला
13	मेहषी महपुरा	2.00 एकड़ × 1 मूखण्ड, 1 एकड़×1 मूखण्ड	1×2960, 1×1480	300, 150	वही	वही	एक फसला
14	नाकुच	2.00 एकड़ × 2 मूखण्ड	2×2960	300	वही	वही	एक फसला
15	सतरस बेलबारा	2.00 एकड़ × 11 मूखण्ड, 0. 24डी×1 मूखण्ड	11×2960, 1×360	300, 40	वही	वही	एक फसला
16	तिलाठी	2.00 एकड़ × 11 मूखण्ड, 1एकड़×1 मूखण्ड	11×2960, 1×1480	300, 150	वही	वही	एक फसला
17	गोरदह	2.00 एकड़ × 14 मूखण्ड, 1 एकड़×1 मूखण्ड	14×2960, 1×1480	300, 150	वही	वही	एक फसला
18	भलवा	2.00एकड़× 6 मूखण्ड, 1 एकड़×1 मूखण्ड	6×2960, 1×1480	300, 150	वही	वही	एक फसला
19	उटेसारा गीतर	2.00 एकड़ × 1 मूखण्ड, 1 एकड़×1 मूखण्ड	1×2960, 1×1480	300, 150	वही	वही	एक फसला
20	सलखुआ	2.00 एकड़ × 4 मूखण्ड, 1.50एकड़×1 मूखण्ड	4×2960, 1×2220	300, 220	वही	वही	एक फसला
21	सलखुआ सितुआही	2.00 एकड़ × 3 मूखण्ड	3×2960	300	वही	वही	एक फसला
22	अमाही उत्तरी तरही	2.00 एकड़ × 5 मूखण्ड	5×2960	300	वही	वही	एक फसला
23	बहरामपुर	2.00एकड़× 7 मूखण्ड, 1 एकड़×1 मूखण्ड	7×2960, 1×1480	300, 150	वही	वही	एक फसला
24	पुनाच गंडोल	2.00 एकड़ × 10 मूखण्ड	10×2960	300	वही	वही	एक फसला
25	मलई गंडोल बघवा	2.00 एकड़ × 2 मूखण्ड, 1.91×1 मूखण्ड	2×2960, 1×2830	300, 290	वही	वही	एक फसला
26	जलई पुरव	2.00 एकड़ × 5 मूखण्ड, 1.49 एकड़×1 मूखण्ड	5×2960, 1×2200	300, 220	वही	वही	एक फसला
27	जलई मध्य	1.54 एकड़ × 2 मूखण्ड	2×2280	230	वही	वही	एक फसला
28	जलई पश्चिम	2.00 एकड़ × 15 मूखण्ड	15×2960	300	वही	वही	एक फसला
29	घुघईपुर सहरवा	2.00 एकड़ × 14 मूखण्ड, 1 एकड़×1 मूखण्ड	14×2960, 1×1480	300, 150	वही	वही	एक फसला

30	गौरदह	तालाब	6000	600	सत्र 2015-16 से सत्र 2017-18 (तीन साल मात्र)	वही	तालाब
31	कटघरा	तालाब	6000	600	वही	वही	वही
32	सतरस पासवान टोला	तालाब	6000	600	वही	वही	वही
33	गमरहो	तालाब	6000	600	वही	वही	वही
34	तेघरा	तालाब	6000	600	वही	वही	वही

### आम डाक में भाग लेने की शर्तें

1. प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग बिहार पटना का ज्ञापांक 276 दिनांक 13.07.2010 में वर्णित आदेशानुसार बन्दोबस्ती के लिए डाक में भाग लेने वाले बन्दोबस्ती भूमि के ग्राम के अथवा तीन मील की परिधि के भीतर के पड़ोसी ग्राम निवासी होंगे। डाक/बन्दोबस्ती में निम्न क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। पुनर्वासित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य कोटि के भूमिहीन /अवकाश प्राप्त सैनिक/सहिव सैनिक के उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. एक बार भूमि की बन्दोबस्ती प्राप्त करने के पश्चात पुनः तुरन्त बाद वाली डाक/ बन्दोबस्ती में भाग लेने के लिए वे हकदार नहीं होंगे।
3. वर्णित पत्रानुसार बन्दोबस्ती हेतु निर्धारित राशि का 10% राशि अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात ही डाक में भाग ले सकेंगे।
4. बन्दोबस्ती हेतु कर्णकित भूमि को बन्दोबस्ती के लिए लगान की दर का अवधारण पुनर्नीक्षित विभागीय अधिसूचना संख्या 422 दिनांक 29.06.2007 द्वारा नियत आधार दर में 5 % वार्षिक वृद्धि के आधार पर किया गया है। सत्र 2015-16 के लिए वर्णित पत्र के आलोक में एक फसला भूमि के लिए रूपये 1478 प्रति एकड़ एवं द्वि फसला भूमि के लिए रूपये 1848 प्रति एकड़ मात्र न्यूनतम डाक दर निर्धारित किया गया है।
5. उच्चतम डाकवक्ता को विभागीय ज्ञापांक 276 दिनांक 13.07.2010 के आलोक में डाक की कुल राशि जमा नहीं करने पर उनकी जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
6. बन्दोबस्ती के अवधि के बीच जनहित (पुनर्वास) में आवश्यकतानुसार बन्दोबस्त किये गये जमीन/तालाब का विभागीय पदाधिकारी को उपयोग में लायी गयी भूमि को लेने का अधिकार रहेगा और वैसी स्थिति में बन्दोबस्ती स्वतः रद्द समझी जायेगी और शेष अवधि के लिए कोई दावा नहीं रहेगा। फसल आदि की नुकशान के मुआबजे के लिये बन्दोबस्तधारी द्वारा किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
7. डाक लेनेवाले व्यक्तियों को पुनर्वास स्थल के तालाब में मात्र खेती /मछली पालन ही करने का अधिकार होगा। उक्त जमीन/तालाब में वे अपना या वैध/अवैध किसी तरह का स्थायी निर्माण नहीं करेंगे। स्थलीय स्थायी निर्माण की सूचना एवं स्थल का मिट्टी काटकर स्वरूप बदलने की स्थिति में बन्दोबस्तधारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
8. अधोहस्ताक्षरी को डाक की तिथि में परिवर्तन करने/स्थागित करने एवं सम्पन्न किये गये डाक को बिना कारा बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. जब तक आम डाक सम्पन्न नहीं हो जाता है तब तक कोई भी व्यक्ति या समूह जमीन पर खेती/तालाब में मछली पालने एवं पकड़ने का कार्य नहीं करेंगे। डाक/ बन्दोबस्त पाने वाले व्यक्ति ही उस जमीन/तालाब का हकदार होंगे।
10. सफल डाकवक्ता को लगान की राशि जमा करते समय अग्रधन की राशि को भुगतैय लगान के विरुद्ध समायोजित कर लिया जाएगा। असफल व्यक्ति के अग्रधन की राशि डाक सम्पन्न होने के तुरन्त बाद उन्हें वापस कर दी जाएगी।
11. पुनर्वास पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध बन्दोबस्तदार (डाकवक्ता) को किसी न्यायालय में जाने का हक नहीं होगा।
12. आम डाकवक्ता को पुनर्वासितों की नागरिक सुविधाओं में किसी प्रकार व्यवधान नहीं करना होगा अन्यथा उनकी बन्दोबस्ती रद्द की जा सकती है। आम डाक की उपरोक्त सभी शर्तें मुझे मान्य है।
13. बन्दोबस्ती / निलामी से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस को पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना सुपौल से प्राप्त की जा सकती है। एवं [www.eproc.bihar.govt.com](http://www.eproc.bihar.govt.com) पर देखा जा सकता है।
14. बन्दोबस्ती /डाक में भाग लेने वालों को वर्णित शर्तों मान्य है का प्रमाण पर हस्ताक्षर करना होगा।
15. एक डाककर्ता को भूखण्डों की एक बार अधिकतम दो एकड़ तक ही सीमित रहेगा, किसी भी परिस्थिति में दो एकड़ से अधिक भूखण्ड का बन्दोबस्ती / निलामी नहीं दी जाएगी।


EO

पुनर्वास पदाधिकारी,  
कोशी योजना, सुपौल

ज्ञापांक...../

सुपौल, दिनांक...../


प्रतिलिपि : - सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को डाक/बन्दोबस्ती से सम्बन्धित पाँच अतिरिक्त प्रतियों एवं सम्बन्धित CD के साथ सूचनार्थ एवं राजस्तरीय किसी दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार हेतु प्रकाशित कराने की कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
पुनर्वास पदाधिकारी,  
कोशी योजना, सुपौल

ज्ञापांक...245/

सुपौल, दिनांक...8-5-2015

प्रतिलिपि -सम्बन्धित ग्राम पंचायत के मुखिया/ थाना अध्यक्ष/ अंचालाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल/सहरसा/मधुबनी/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
पुनर्वास पदाधिकारी,  
कोशी योजना, सुपौल

स्वीटी कुमारी